

डिकी मुकदमा इक्टदाई
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. विशम्भर पुत्र बाला
2. दामोदर पुत्र बाला
3. रामचरण पुत्र रंगलाल
4. गोकल पुत्र रंगलाल
जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली। वादी

बनाम

1. दयाचन्द पुत्र रंगलाल
2. रामरती पत्नि रमेश चन्द
3. हरीप्रसाद पुत्र घस्सी
जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. रामपति पुत्री घस्सी पत्नि रामसहाय जाति मीना निवासी भौपुर बहादुरपुर तहसील टोडाभीम।
5. शिवचरण पुत्र गिराज
6. विजय पुत्र गिराज
7. अजय पुत्र गिराज
8. सोमोती पत्नि गिराज
जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
9. अमरी पुत्री गिराज पत्नि रामनिवास निवासी पनवेडा तहसील हिण्डौन
10. राधाकिशन पुत्र भौरया मीना निवासी करीरी।
11. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।
12. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।
13. मैनेजर बी.ओ.बी. शाखा करीरी

प्रतिवादी गण

दावा बावत इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 28 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट
मिनकानिव गुदई रुबरु श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट हमारे मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम
श्या जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिकी किया जाकर ग्राम चक गाजीपुर की आराजी मे वादी
शम्भर, दामोदर पि. बाला जाति मीना हिस्सा बराबर को ख0न0 448/1 रकवा 0.04 है0 का,
वादी रामचरण पुत्र रंगलाल जाति मीना को ख0न0 448/3 रकवा 0.04 है0 का, वादी गोकल पुत्र
रंगलाल जाति मीना को ख0न0 448/2 रकवा 0.04 है0 का तथा प्रतिवादी दयाचन्द पुत्र रंगलाल
जाति मीना को ख0न0 448 रकवा 0.04 है0 का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। तथा
आराजी ख0न0 440/0.09, 441/0.06 कुल कित्ता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे हरीप्रसाद पुत्र घस्सी,
रामपति पुत्री घस्सी हि. व. 1/3, शिवचरण, विजय, अजय, पि. गिराज, अमरी पुत्री गिराज, सोमोती
पत्नि गिराज हि.व. 1/3, राधाकिशन पुत्र भौरया हिस्सा 1/3 जाति मीना सयुक्त रूप से खातेदार
काशतकार रहेगे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से
कच्चेकाशत की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुवलिंग.....बावत.....खर्चा इस
मुकदमे के मय शूद वशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....
.....अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 07.01.2021 को जारी की गई।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

तारीख रजू:- 13.3.2019

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.
उनवान

विशम्भर पुत्र बाला
दामोदर पुत्र बाला
रामचरण पुत्र रंगलाल
गोकल पुत्र रंगलाल
जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादी

बनाम

दयाचन्द पुत्र रंगलाल
रामरती पत्नि रमेश चन्द
हरीप्रसाद पुत्र घस्सी
जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।
रामपति पुत्री घस्सी पत्नि रामसहाय जाति मीना निवासी भौपुर बहादुरपुर तहसील
टोडाभीम।

शिवचरण पुत्र गिराज

विजय पुत्र गिराज

अजय पुत्र गिराज

सोमोती पत्नि गिराज

जाति मीना निवासी करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

अमरी पुत्री गिराज पत्नि रामनिवास निवासी पनवेडा तहसील हिण्डौन

0. राधाकिशन पुत्र भौरया मीना निवासी करीरी।

1. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

2. सब रजिस्ट्रार टोडाभीम जिला करौली।

3. मैनेजर बी.ओ.बी. शाखा करीरी

प्रतिवादी गण

दावा बावत इस्तकरारहक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :- 1. श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट (वादी)

2. श्री राममरोसी गुप्ता (प्रतिवादीगण 3 ता 10)

निर्णय

दिनांक:- 07.01.2021

वादीगण की और से ग्राम चक गाजीपुर की आराजी ख0न0 440/0.09, 441/0.8/0.16 कुल किता 3 कुल रकवा 0.31 है0 मे वादी न0 1 व 2 का हिस्सा 1/8 वादी का 1/8 वादी न0 4 का 1/8 हिस्सा अलग-अलग कायम कराने हेतु दावा तकास्मा सरहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करने पर प्रतिवादीगण का जबाब प्रस्तुत होने पर बाद ई दावा प्राथमिक डिक्री कर अलग-अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार टोडाभीम द्वारा कमीशनर नियुक्त किया गया। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का उभयपक्षकारान ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार दावा फाईनल डिक्री करने थन कर सहमति दर्ज कराई।


(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

वकील उभयपक्षकारान द्वारा सहमति दर्ज कराने पर मुताबिक बटवारा स्कीम ग्राम गाजीपुर की आराजी मे वादी विशम्भर, दामोदर पि. बाला जाति मीना हिस्सा बराबर को ख0न0 448/1 रकवा 0.04 है0 का, वादी रामचरण पुत्र रंगलाल जाति मीना को ख0न0 448/3 रकवा 0.04 है0 का, वादी गोकल पुत्र रंगलाल जाति मीना को ख0न0 448/2 रकवा 0.04 है0 का तथा प्रतिवादी दयाचन्द पुत्र रंगलाल जाति मीना को ख0न0 448 रकवा 0.04 है0 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा आराजी ख0न0 440/0.09, 441/0.06 अ किता 2 कुल रकवा 0.15 है0 मे हरीप्रसाद पुत्र घस्सी, रामपति पुत्री घस्सी हि. ब. 1/3, वचरण, विजय, अजय, पि. गिराज, अमरी पुत्री गिराज, सोमोती पत्नि गिराज हि.ब. 1/3, शाकिशन पुत्र भौरया हिस्सा 1/3 जाति मीना सयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार रहेंगे। क्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निर्णय आज दिनांक 7.01.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया




(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप-जिला अधिकारी टोडाभीम
जिला-करोली
टोडाभीम जिला करोली